

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. 2021/440
मुकदमा नम्बर 154/2021

दायर दिनांक-27.09.2021

1. ताराचन्द पुत्र भानाराम जाति जाट निवासी जेजूसर, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
..... वादी

बनाम

1. कविता पुत्री पोकर
2. जडाई पुत्री पोकर
3. सुनिता पुत्री पोकर
4. रोहिताश पुत्र पोकर
5. शिवकोरी देवी पत्नी बीरबल
6. राजेश कुमार पत्नी बीरबल
7. महेश कुमार पुत्र बीरबल सिंह
8. सुमित्रा देवी पत्नी बनवारी
9. संदीप पुत्र बनवारीलाल
10. मुकेश कुमार पुत्र बनवारीलाल
11. परमेश्वरी पुत्री भानाराम
12. संतोष पुत्री भानाराम
13. औंकारसिंह पुत्र डूंगाराम
14. मोहनी पुत्री नाराणी पुत्री रामेश्वर
15. मुन्नी पुत्री नाराणी पुत्री रामेश्वर
16. कमला पुत्री नाराणी पुत्री रामेश्वर
17. प्यारेलाल पुत्र भोपालसिंह
18. रामनाथ पुत्र परताराम
19. शारदा पुत्री परताराम
20. गणपति पुत्री सोहन सिंह
21. शक्ति सिंह पुत्र सोहन सिंह
22. हरीसिंह पुत्र पालाराम
23. करणीराम पुत्र पालाराम समस्त जाति जाट निवासी जेजूसर तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
24. महेन्द्र पुत्र बीरबल पौत्र पालाराम
25. मधी देवी पत्नी इन्द्राज पुत्र वधु बीरबल
26. रविकान्त पुत्र इन्द्राज
27. पुजा पुत्री इन्द्राज
28. सुमन देवी पत्नी उम्मेद पुत्र वधु बीरबल
29. खुशी पुत्री उम्मेद
30. नीरज पुत्र उम्मेद
31. रामप्यारी पत्नी गुलझारी पुत्र वधु बीरबल
32. सतवीर पुत्र गुलझारी
33. सुनिता पुत्री गुलझारी
34. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़, जिला झुझुनू

..... प्रतिवादी
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुझुनू)

दावा – विभाजनप्रतिनिधित्व:-


वकील वादी- श्री बजरंगलाल मूण्ड
 प्रतिवादी, 1 लगा. 33 – एक पक्षीय
 प्रतिवादी सं. 34- पैरो. राज

:-निर्णय:-

निर्णय दिनांक 23.01.2025

वाद वादी दिनांक 01/08/2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2024/5666 दिनांक 04/12/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ए मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैंड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जयसिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
 जिला- झुझुनू
 नवलगढ़ (झुझुनू)

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्री जय सिंह (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

जीएसएम न. 2021/440

मुकदमा नम्बर 154/2021

दायर दिनांक-27.09.2021

(ताराचन्द बनाम कविता वगै0)

दावा - विभाजन

(डिक्री)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री जय सिंह (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाद वादी दिनांक 01/08/2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया था तथा तहसीलदार नवलगढ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक प्राथमिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी मे. कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया था। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2024/5666 दिनांक 04/12/2024 द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। विभाजन प्रस्ताव न्यायोचित होने से वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु प्राथमिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ए मय नजरी नक्शा उक्त निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर आवश्यक अमलदरामद करे। राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

जन.....-..... मुबलिग.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-
.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक-.....का अदा करे।

बस्वत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 23 माह 01 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-